बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
दरभंगा प्रमन्डल,दरभंगा

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 26/09–10

1. परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम :– जिला आपदा प्रबन्धन मधुबनी के मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत में आंवटित राशि की जाँच/अंकेक्षण

(ख) लेखा पदाधिकारियों का नाम पदनाम एवं अवधि :–

जिला पदाधिकारी

1. श्री हुकुम सिंह मीणा, भा0 प्र0 से0
   14.1.2004 – 25.7.2004
2. श्री अतीश चन्द्रा,भा0 प्र0 से0
   26.7.2004 – 29.6.2006
3. श्री राहुल सिंह, भा0 प्र0 से0
   30.6.2006 –18.3.2008
4. श्री पंकज कुमार ,भा0 प्र0 से0
   19.3.2008 से अद्यतन

नजारत, उप समाहर्त्ता

1. श्री मो0 गुफरान अहमद
   12.5.2002 से 29.12.2004
2. श्री संजय कुमार
   30.12.2004 से 29.6.2005
3. श्री हरिकिशोर श्रीवास्तव
   30.6.2005 से 13.9.2006
4. श्री ललित भूषण रंजन
   14.9.2006 से 17.7.2007
5. श्री तारा चन्द वियोगी
   18.7.2007 से अद्यतन

जिला नाजिर

1. श्री उमाशंकर महतो
   12.1.2002 से 30.11.2004
2. श्री राम किसुन राम
   30.11.2004 से अद्यतन

(ग) अंकेक्षण में सहयोग देने वाले

कर्मचारी का नाम – श्री नसीम अहमद प्रधान लिपिक

(घ) अंकेक्षणान्तर्गत अवधि – 2004 –05

(ड.)	अंकेक्षकों के नाम	–	1. श्री अशोक कुमार गुप्ता,व0 अं0 2. श्री रमण कुमार वरीय अंकेक्षक 3. श्री शम्भू ठाकुर, वरीय अंकेक्षक
(च)	अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि –		14.9.2005 / 21.3.2007
(छ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि –		27.2.2009
(ज)	व्यतीत कार्य दिवसों की संख्या –		150 कार्यदिवस
(झ)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची	–	परिशिष्ट ''क'' पर दिया गया है।

(ञ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक 3286 दिनांक 15.9.60 , ज्ञापांक 135 दिनांक 8.7. 2005 एवं ज्ञापांक 153 दिनांक 19.7.2005 में निहित आदेश एवं दिशा –निर्देश के आलोक में इस लेखा के अंकेक्षण कार्य का सम्पादन उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर किया गया। जिला आपदा कार्यालय, मधुबनी के राहत लेखा का (अलग से) यह प्रथम अंकेक्षण था फलस्वरूप पूर्व के अंकेक्षण से सम्बन्धित अनुपालन का प्रश्न नही था। जिला आपदा प्रबन्धन मधुबनी, अंचल कार्यालय एवं अन्य कार्यालय जिनके द्वारा अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत किया गया के द्वारा जिला कोषागार, मधुबनी से निकासी की गई राशि एवं जमा राशि का सत्यापन शत्– प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

(ट) वित्तीय समीक्षा

जिला आपदा प्रबन्धन मधुबनी के शीर्ष –2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत में वर्ष 2004–05 की अवधि में प्राप्त आंवटन एवं व्यय की विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है। आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंवटित कुल राशि रू0 1924. 80 लाख के विरूद्ध विभिन्न उप शीर्षो में जिला आपदा कार्यालय, मधुबनी द्वारा रूप्या 1913.80 लाख आंवटन पाया गया, जिसके विरूद्व रू0 14,32,45,857=00 कुल व्यय एवं अवशेष राशि रू0 4,81,34,143=00 था। अवशेष राशि में रू0 2,53,88,007=00 विभाग को प्रत्यार्पित कर दिया गया एवं शेष राशि रू0 2,27,25,936=00 कोषागार में विहित उप शीर्षो में जमा किया गया तथा रू0 20,200=00 पशु चिकित्सा मद में कोषागार में जमा करने योग्य लम्बित पाया गया जिसे शीध्र जमा करने का सुझाव दिया जाता है।

शीर्ष 2245 – साहाय्य के सहायक रोकड़ पुस्त का दिनांक 1.4.2004 का प्रारम्भण रोकड़ रू0 98,26,038=74 तथा दिनांक 31.3.2005 का सम्बरण शेष रू0 98,63,069=25 पाया गया। दिनांक 31.3.2005 के सम्बरण शेष की विवरण निम्न प्रकार है :–

1. खाद्यान	–	24,43,745=67
2. पशु दवा	–	2,47,500=00
3. पेय जल	–	26,832=00
4. मानव दवा	–	1,65,192=00
5. आबादी निष्कासन	–	17,47,250=00

6. अनुग्रह अनुदान	–	9,55,000=00
7. ग्रामीण सड़क	–	15,288=00
8. पोखर जीर्णोद्वार	–	1,51,384=00
9. चादर क्रय	–	5,982=97
10. पोलिथीन क्रय	–	74,072=00
11. एफ0 डी0 आर0 योजना	–	70656=00
12. राहत योजना	–	7,34,672=00
13. पुनर्वास मुआबजा	–	1,84,807=50
14. पुल/पुलिया मरम्मत	–	12,34,643=00
15. पल्पिंग सेट	–	18436=00
16. हुडको ऋृण वसूली	–	1,53,297=00
17. क्षति ग्रस्त मंदिर /मस्जिद मरम्मत	–	93,800=00
18. मत्स्य जीरा	–	2,00,000=00
19. कम्बल क्रय	–	270=00
20. खाद्यान खाली बोरा नीलामी	–	5,900=00
21. नाव निर्माण /मरम्मत	–	3,20,400=00
22. नगद अनुदान	–	1,25,760=25
23. पशु चारा	–	1,28,060=67
24. टैंकर से पेय जल ढुलाई	–	1,00,000=00
25. विविध	–	6,60,120=19

कुल रू0 98,63,069=25

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर जिला आपदा प्रवधन मधुबनी के वर्ष 2004–05 के शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपति के कारण राहत हेतु विभिन्न ईकाइयों के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन का उपावंटन एवं व्यय से सम्बधित विवरणी दी गयी है जिसके अन्तर्गत विभिन्न इकाइयों में उपावंटित राशि –20 अंचल कार्यालयों ,5 अनुमन्डल कार्यालयों ,खाद्य निगम,जिला पशुपालन कार्यालय ,असैनिक शल्य चिकित्सक एवं जिला स्तर पर तथा व्यय से सम्बन्धित विवरणी दी गयी है।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ध'' पर आपदा प्रबन्धन बिहार ,पटना द्वारा, मधुबनी जिला में वर्ष 2004–05 में शीर्ष 2245– प्राकृतिक आपदा के कारण क्षति ग्रस्त पथों की मरम्मती मद में ग्राम्य अभियंत्रण संगठन मधुबनी बेनीपट्टी एवं झंझारपुर को प्राप्त आवंटन एवं व्यय से सम्बन्धित विवरणी दी गयी है।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ड.'' पर वर्ष 2004–05 में बिहार राज्य खाद्य निगम को प्राप्त कराये गये राशि एवं उनके बदले विभिन्न अंचल कार्यालयों तथा अन्य को बाढ़ राहत मद में आपूर्त्ति किये गये खाद्यान की मात्रा की विवरणी दी गयी है।

अंकेक्षण के क्रम में निर्गत सभी आपत्तियों का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तक नही किया गया।

2. मानव दवा क्रय मद के अभिश्रव में वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान दिखाकर रू0 22,716=00 का गबन

अंकेक्षण में पाया गया कि जिला आपदा प्रबंधन मधुबनी द्वारा वर्ष 2004–05 में शीर्ष 2245 –प्राकृतिक आपदा के मानव दवा मद में सिविल सर्जन कार्या0 मधुबनी को रू0 3,35,000=00 उपावंटित किया गया था, जिसकी निकासी दिनांक 5.8.04 को विपत्र सं0 34 एवं 35/04–05 के द्वारा क्रमशः 3,00,000=00 तथा 35,000=00 कुल रू0 3,35,000=00 किया पाया गया। सिविल सर्जन कार्यालय को उक्त मद में जिला नजारत मधुबनी के चेक सं0 419543 दिनांक 10.8.04 द्वारा रू0 10,00,000=00 प्राप्त किया गया था। इस प्रकार सिविल सर्जन कार्यालय को आपदा प्रबंधक मधुबनी एवं जिला नजारत मधुबनी से कुल 13,35,000=00 (3,35,000=00 + 10,00,000=00) प्राप्त हुआ था।

सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी द्वारा अभिश्रव सं0 1 दि0 17.2.05 ,2 दि0 22.2.05 तथा 3 दि0 22.2.05 के द्वारा क्रमशः रू0 7,73,854=00 रू0 1,35,313=00 तथा रू0 34,987=00 कुल रू0 9,44,154=00 का भुगतान विभिन्न फर्मो को क्रमशः दि0 17.2.05 तथा 22.2.05 को किया गया था। स्पष्ट है कि सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी द्वारा उक्त मद में रू0 9,44,154=00 का व्यय दिखाकर अवशेष राशि रू0 3,90,846=00 (रू0 13,35,000=00 – 9,44,154=00) को जिला नजारत मधुबनी को चेक सं0 536587 दि0 17.2.05 द्वारा रू0 2,26,146=00 तथा जिला

कोषागार मधुबनी में चलान सं0 32/22.2.05 द्वारा रू0 1,64,700=00 जमा कर दिनांक 17.5.05 को प्रतिवेदन भेजकर अवशेष शून्य कर दिया गया।

अभिश्रवों की जाँच एवं रोकड़ पुस्त से सत्यापन में पाया गया कि भुगतान किये गये विपत्र/अभिश्रव का कुल योग रू0 9,21,438=00 होता है जिसका विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''च'' पर दिया गया है।

इस प्रकार मानव दवा क्रय मद में वास्तविक भुगतान रू0 9,21,438=00 के स्थान पर रू0 9,44,154=00 भुगतान दिखाकर रू0 22,716 का गबन किया गया इस संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन भी नही किया गया। अतः उक्त गबन के विरूद्ध दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

3. रू0 2,000=00 पशु चारा मद की अवशेष राशि ,गलत अग्रिम देकर सम्बरण में कमी दिखा कर गबन :–

अंचल कार्यालय,जय नगर के पशु चारा अनुदान मद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त मद में कोषागार से विभिन्न तिथियों को रू0 1,28,000=00 की निकासी की गई जिसमें कुल व्यय रू0 18,000=00 किया गया एवं कोषागार

चालान संख्या – 32/18 दिनांक 16.3.05 के द्वारा रू0 1,08,000=00 जिला कोषागार ,मधुबनी में जमा किया गया। सहायक रोकड़ पुस्त में दिनांक 16.3.2005 को कर्मचारी को अग्रिम दिखा कर रू0 2000=00 सम्वरण से घटा दिया गया जबकि अग्रिम पंजी तथा प्राप्ति रसीद तथा कर्मचारी के नाम का उल्लेख अभिलेखों में नही पाया गया। स्पष्ट है कि पशु चारा के निकासी –व्यय–अवशेष राशि– जमा में संतुलन करने के लिए उक्त अग्रिम की प्रविष्टि दिखा कर रू0 2,000=00 का गबन किया गया। अतः उक्त गबन के सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त(अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

4. अवशेष 510.58.000 क्विंटल गेंहूँ का विक्रय आपत्तिजनक :–

अंचल कार्यालय खुटौना के खाद्यान मद की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2004–05 में बाढ़ राहत मद में पीड़ितों के बीच खाद्यान वितरित करने हेतु कुल गेंहूँ 1109. 92.500 क्विंटल प्राप्त किया गया था जिसमें बाढ़ – पीड़ितों के बीच मात्र कुल गेंहूँ 599.34.500 क्विंटल वितरित किया गया। अवशेष गेंहूँ की कुल मात्रा 510.58.000 क्विंटल को खाद्यान प्रभारी श्री नागेन्द्र पासवान प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, खुटौना के द्वारा 133 क्विंटल गेंहूँ वाजार मूल्य के नाम पर रू0 700/= प्रति क्विंटल की दर से बेच कर नाजिर रसीद संख्या 574957 दिनांक 12.3.2005 के द्वारा रू0 93,100=00 अंचल नजारत में जमा किया गया,पुनः जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को ए0 पी0 एल0 की दर रू0 679.80 प्रति क्विंटल से कुल गेंहूँ 377.58. 000 क्विंटल गेंहूँ बिक्री कर विभिन्न तिथियों को नाजिर रसीद संख्या 745051 से 705094 के द्वारा अंचल नजारत में रू0 2,56,682=00 जमा कराया गया। इस प्रकार कुल रू0 3,49,782=00 रू0 510.58.000 क्विंटल गेंहूँ का कीमत सरकारी कोष में जमा कराया गया। उक्त गेंहूँ बिक्री हेतु किसी सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति भी नही ली गई थी तथा बिक्री मूल्य भी स्वतः तय किया गया था। वस्तुतः एक सुनियोजित तरीके से माँग में बाढ़ पीड़ितों के बड़े क्षेत्र को प्रतिवेदित कर लगभग 47 प्रतिशत अधिक खाद्यान गेंहूँ की मात्रा प्राप्त किया गया था जो सब्सीडी प्राप्त गेंहूँ था।

अतः अवशेष गेंहूँ की मात्रा 510.58.000 क्विंटल बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना अपनी मर्जी से दर निर्धारित कर बिक्री किये जाने की ओर उच्च पदाधिकारियों का ध्यान आवश्यक कारवाई हेतु आकृष्ट करते हुए भविष्य में ऐसी प्रक्रिया सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के बिना नही किया जाय।

5. अवशेष 202.95.000 क्विंटल राहत मद के गेंहूँ का सम्भावित दुर्विनियोग :–

अंचल कार्यालय लोकही के वर्ष 2004–05 के बाढ़ राहत मद के खाद्यान अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बाढ़ पीड़ितों में खाद्यान वितरण करने हेतु राज्य खाद्यँ निगम से कुल 1032.70.050 क्विंटल गेंहूँ श्री अशोक कुमार दत्त पंचायत सेवक

भंडार पाल द्वारा प्राप्त किया गया अंचल कार्यालय लोकही में कुल 13 पंचायतों में बाढ़ – पीड़ितों के बीच कुल 829.75.000 क्विंटल गेंहूँ का वितरण किया गया शेष 202.95.050 क्विंटल गेंहूँ अवशेष के रूप में श्री अशोक कुमार दत्त भंडार पाल (पंचायत सेवक) के जिम्मे रह गया जिसे बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित नही किया गया। अवशेष गेंहूँ का भंडार पाल द्वारा क्या किया गया एवं संधारित भंडार पंजी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये जाने से स्थिति अस्पष्ट पाया गया। निर्गत अपत्ति का अनुपालन भी नही किया गया। स्पष्ट है कि अवशेष गेंहूँ 202.95.050 का सम्भावित दुर्विनियोग किया गया। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवशेष 202.95.000 क्विंटल गेंहूँ के सम्भावित दुर्विनियोग की आवश्यक जाँच/कारवाई की जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

6. 71.88.000 क्विंटल राहत मद के गेंहूँ का सम्भावित दुर्विनियोग :–

अंचल कार्यालय, खुटौना के वर्ष – 2004–05 के बाढ़ राहत के खाद्यान मद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न पंचायत सेवकों/राजस्व कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्यान वितरण हेतु प्राप्त कुल 471.76.000 क्विंटल गेंहूँ में मात्र 399.88.000 क्विंटल गेंहूँ के सम्बन्ध में पीड़ितों द्वारा प्राप्ति अभिश्रव एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया शेष 71.88.000 क्विंटल गेंहूँ के पीड़ितों के बीच वितरण का मात्र प्रतिवेदन पाया गया जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रति–वेदन के परिशिष्ट ''छ'' पर दी गयी है। स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर्मियों द्वारा बिना अभिलेख संधारित किये 71.88.000 क्विंटल गेंहूँ को पीड़ितों के बीच वितरण दिखाकर सम्भावित दुर्विनियोग किया गया। विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस पर आवश्यक जाँच एवं कारवाई हेतु आकृष्ट करते हुए किये गये कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

7. 6815965=00 क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मति पर व्यय आपत्ति अर्न्तगत :–

मधुबनी जिला में बाढ़ साहाय्य पथ मरम्मत वर्ष 2004–05 में आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार से ग्राम्य अभियंत्रण संगठन बेनी पट्टी झंझारपुर तथा मधुबनी को क्रमशः 21 लाख 29 लाख एवं 20 लाख आंवटन प्राप्त हुआ जिसमें जिला आपदा प्रबन्धन मधुबनी के स्तर से क्रमशः 9,6 तथा 23 योजनाओं हेतु क्षतिग्रस्त पथों की सूची उपलब्ध करायी गयी तथा अनुमोदन भी किया गया उक्त सभी योजनाओं का कार्य निविदा द्वारा किया गया एवं कार्य पालक अभियंता के स्तर से उक्त योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा अभिलेख अभिश्रव तथा मापी पुस्त भी कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया गया। इन योजनाओं पर ग्राम्य अभियंत्रण संगठन मधुबनी वेनीपट्टी एवं झंझारपुर द्वारा क्रमशः 19,74,247=00, 19,43,205=00 एवं 28,98,513=00 कुल 68,15,965 =00 का व्यय किया गया जिनकी विस्तृत विवरणी कंडिका संख्या ''घ'' एवं घ–1,घ–2,घ–3'' पर दी गयी है। उक्त योजनाओं में व्यय

की समीक्षा जिला स्तर के अनुश्रवण समिति तथा किसी भी पदाधिकारी के द्वारा पर्यवेक्षण नही किया पाया गया जबकि राज्य स्तर पर हुए सी0 आर0 एफ0 समिति की बैठक में इस पर स्पष्ट निर्देश था। अंकेक्षण में उपरोक्त कार्य प्रमन्डलों से योजनाओं के अभिलेख,अभिश्रव एवं मापी पुस्तों को प्रस्तुत करने हेतु किये गये आपत्तियों का अनुपालन ग्राम्य अभियंत्रण संगठन मधुबनी तथा बेनीपट्टी द्वारा नही किया गया। ग्राम्य अभियंत्रण संगठन झंझारपुर द्वारा लेखा विपत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करते हुए कार्य पी0 डब्लू0 डी0 कोड के अन्तर्गत कार्य कराने तथा महालेखाकर द्वारा नियमित अंकेक्षण का हवाला दिया गया तथा अंकेक्षण में अभिलेख,अभिश्रव तथा मापी पुस्त प्रस्तुत नही किया गया। उक्त योजनाओं में क्रय किये गये सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय के सम्बन्ध में भी क्रय समिति से अनुमोदन प्राप्त नही किया गया। उपरोक्त व्यय रू0 68,15,965=00 में दुर्विनियोग की सम्भावना है। अतः इसे उच्च स्तर पर जाँच कराने का सुझाव दिया जाता है तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। जाँच पूरा होने तक रू0 68,15,965=00 से सम्बन्धित व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

8. **रू0 3,05,206=00 पीने के पानी मद में व्यय के राशि का सम्भावित दुर्विनियोग :—**पेय जल आपूर्ति अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि बाढ़ पीड़ितों को पेय जल की आपूर्ति हेतु विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रो में चापाकल गाड़ने की प्रक्रिया की गई जिनके अन्तर्गत कुल रू0 3,05,206=00 का व्यय किया गया जिसकी विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ज'' पर दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों के विभिन्न स्थानों पर शरण लिए जाने पर भोजन—सामग्री एवं पेय जल के आपूर्त्ति की मुख्य समस्या होती है। उक्त राशि का व्यय बाढ़—पीड़ितों के बीच पीने के पानी की आपूर्त्ति पर किया जाना था। जिला आपदा प्रबन्धन विभाग एवं अनुश्रवण समिति या विभाग से उक्त राशि का व्यय चापाकल निर्माण हेतु करने का कोई स्पष्ट निर्देश नही था। जिला स्तर पर हुई बैठकों की कार्यवाही में भी बाढ़ के बाद चापाकल निर्माण सम्बन्धी व्यय की कोई स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख अंकेक्षण में प्राप्त नही हुआ। पेय जल आपूर्त्ति हेतु चापाकल निर्माण (गाड़ने) में सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति,स्थल चयन की स्वीकृति एवं क्रय —किये गये सामग्री के स्वीकृति के बिना बिलकुल अनियमित तरीके से चापकल का निर्माण कार्य दिखा कर व्यय किया गया एवं इसके लिए आवश्यक अभिलेखों के संधारण का अभाव भी पाया गया। चापाकल स्वीकृत स्थलों पर निर्माण का प्रमाण पत्र भी नही दिया गया, साथ ही इस बात का भी उल्लेख नही किया गया कि उक्त स्थान पर पूर्व से किसी योजना द्वारा चापाकल का निर्माण कराया गया है अथवा नही। इस प्रकार पीने के पानी मद पर रू0 3,05,206=00 का संभावित दुर्विनियोग से इन्कार नही किया जा सकता है। इसकी जाँच के लिए उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

9. रू0 36,807=00 वाणिज्य कर की अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

अंकेक्षण में प्रस्तुत आबादी निष्कासन मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय मधेपुर के अभिश्रव संख्या 7 दिनांक 28.8.04 के द्वारा 40 क्विंटल पोलिथीन सीट दर रू0 5000/= प्रति क्विंटल से क्रय किया गया जिनमें रू0 2,00,000=00 पोलीथीन का मूल्य रू0 20,000=00 वाणिज्य कर एवं टी0 ओ0 टी0 2,000=00 कुल रू0 2,22,000=00 भुगतान प्राप्त किया गया जिसमें रू0 22,000=00 वाणिज्य कर एवं टर्न ओवर टैक्स के रूप में प्राप्त किया गया। उक्त राशि विक्रेता नारायण पाईप स्टोर मधेपुर (टिन –13 जे0 एच 783 आर) के द्वारा किया गया।

पुनः अंचल कार्यालय लखनौर के आबादी निष्कासन मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय लखनौर के अभिश्रव संख्या 241 तथा 242 दिनांक 28.8.04 द्वारा 27.54 क्विंटल (दर रू0 5000/= प्रति क्विंटल) पोलीथीन सीट क्रय किया गया जिसके लिए नारायण पाइप हाउस मधेपुर को रू0 1,37,700=00 पोलीथीन सीट का मूल्य, रू0 13,770=00 वाणिज्य कर एवं रू0 1037=00 टर्न ओवर टैक्स के रूप में भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल भुगतान की राशि रू0 1,52,507=00 प्राप्त किया गया इसमे रू0 14807=00 टैक्स के रूप में प्राप्त किया गया। दिनांक 10.7.2004 को आहूत जिला स्तर पर बाढ़ –राहत हेतु क्रय समिति की बैठक जिसमें जिला पदाधिकारी,मधुबनी के अलावा अपर समाहर्त्ता,जिला लेखा पदाधिकारी , जिला उधोग पदाधिकारी एवं सहायक वाणिज्य कर आयुक्त सम्मिलित थे सामग्रियों का दर निर्धारित किया गया एवं उक्त दर सभी करों समेत तय किया गया जिसे ज्ञाप संख्या – 200/आ0 प्र0 दिनांक 10.7.2004 के द्वारा सभी अंचल पदाधिकारियों को सूचित किया गया।

स्पष्ट है कि नारायण पाइप स्टोर/नारायण पाइप हाउस, मधेपुर द्वारा अंचल कार्यालय मधेपुर के अभिश्रव सं0 7 के द्वारा रू0 22,000=00 तथा अंचल कार्यालय लखनौर के अभिश्रव संख्या 241 तथा 242 के द्वारा रू0 14807=00 कुल रू0 36807=00 का अनियमित टैक्स प्राप्त किया जिसे शीध्र वसूल कर विहित शीर्ष में कोषागार में जमा किया जाय एवं इसका अनुपालन वित्त (अंकेक्षण) विभाग को किया जाय।

10. रू0 66,125=00 वाणिज्य कर की राशि वसूली योग्य :–

अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि शीर्ष 2245– प्राकृतिक विपति के वर्ष 2004–05 के नाव निर्माण मद में 16 बड़ी ,(25’x7’x2’6’’) ,70 मध्यम (20’x6’x1’6’’) तथा 4 छोटी (18’x5’x1’3’’) कुल 90 नावों का क्रमशः रू0 8000/= ,5500=00 तथा 4,000=00 मूल्य निर्धारित करते हुए कुल 8 फर्मो को कुल रू0 5,29,000=00 का भुगतान किया गया जिनकी पूर्ण विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ‘‘झ’’ पर दी

गयी है। अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि सम्बधित फर्मो द्वारा कोटेशन पैड पर कीमत लिख कर भुगतान चेकों के माध्यम से प्राप्त किया गया,जबकि उनके द्वारा प्रिन्टेड केश–मेमो (वैध) पर भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए था। स्पष्ट है कि कर–वंचन के कारण इन फर्मो द्वारा नियमित तरीके से भुगतान नही प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी ,मधुबनी द्वारा गठित क्रय –समिति में सभी क्रय किये गये सामग्रियों का मूल्य (कर–सहित) निर्धारित किया गया था। इस प्रकार सम्बन्धित फर्मो द्वारा वाणिज्य कर की राशि को छोड़ कर भुगतान प्राप्त किया जाना चाहिए था, ऐसा नही किया पाया गया। अतएव नियमानुसार सम्बन्धित फर्मो से 12.5 प्रतिशत वाणिज्य कर की कुल राशि रू0 66,125=00 शीघ्र वसूल कर विहित शीर्ष में कोषागार में जमा करा कर अनुपालन वित्त(अंकेक्षण) विभाग,बिहार पटना को किया जाय।

11. रू0 76,237.00 वाणिज्य कर की राशि वसूली योग्य :–विभिन्नन अंचल कार्यालयों के आवादी निष्कासन मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि बाढ़ पीड़ितों के बीच रहने की व्यवस्था हेतु पोलीथीन सीट उपलब्ध कराने हेतु अंचल कार्यालयों द्वारा जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर पर बाजार से पोलीथीन सीट का क्रय किया गया जिसपर कुल रू0 7,62,365.00 का व्यय किया गया तथा उक्त राशि को संबंधित फर्मो को भुगतान कर दिया गया। जिला पदाधिकारी मधुबनी के ज्ञाप सं0–200/आ0 प्र0 दिनांक 10–7–2004 में स्पष्ट रूप से न्यूनतम मूल्य (सभी करो समेत) निर्धारण का उल्लेख था एवं आपूर्त्ति कर्मियों से नियमानुसार करों की कटौती करने का आदेश दिया गया था, जिसकी प्रति सभी अंचल अधिकारियों को प्रेषित किया गया था, इस आदेश के प्श्चात् भी अंचल कार्यालयों द्वारा वाणिज्य कर की कटौती किये बिना हीं पूर्ण भुगतान किया गया। इस प्रकार रू0 7,62,365. 00 का 10 प्रतिशत वाणिज्य कर रू0 76,237.00 संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता/ फर्म से वसूली योग्य है जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ञ'' पर दी गयी है। अतः दोषी व्यक्तियों से रू0 76,237.00 शीघ्र वसूल कर विहित शीर्ष में कोषागार में जमा करायाजाय एवं इसका अनुपालन वित्त (अंकेक्षण) विभाग को किया जाय।

12. रू0 55,969.00 वाणिज्य कर की राशि वसूली योग्य :–

अंकेक्षण में प्रस्तुत अंचल कार्यालयों के आवादी निष्कासन मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि बाढ़ पीड़ितों के बीच चूड़ा–गुड़ चीनी आदि खाद्य सामग्री वितरित करने हेतुजिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर (सभी कर समेत) पर स्थानीय बाजार से क्रय किया जाना था। अंचल कार्यालीयों द्वारा कुल रू0 13,99,216.00 का खाद्य सामग्री स्थानीय बाजार से क्रय किया गया या आपूर्त्ति कराया गया जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''त'' पर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञाप सं0–200 दिनांक 10–7–2004 जो सभी

अंचल अधिकारियों को प्रेषित था, में आपूर्त्तिकर्त्ता से करों की कटौती का आदेश दिया गया था। अंचल कार्यालयों द्वारा उक्त निदेश की अनदेखी कर बिना वाणिज्य कर काटे पूर्ण कीमत रू0 13,99,216.00 का भुगतान कर दिया गया। इस प्रकार कुल भुगतान का 4 प्रतिशंत वाणिज्य कर की राशि कुल रू0 55,969.00 से वसूली योग्य है, जिसे शीघ्र वसूल कर कोषागार में जमा करायाजाय एवं अनुपालन वित्त (अंकेक्षण) विभाग को किया जाय।

13. रू0 33,102.00 अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य :–

(क) पोलीथीन सीट क्रय में अधिक भुगतान की राशि रू0 16,685.00 वसूली योग्यः'–

आबादी निष्कासन मद में पोलीथीन सीट क्रय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय खुटौना एवं वासोपट्टी के अभिश्रवों के द्वारा 1029 कि0 ग्राम पोलीथीन सीट क्रय में निर्धारित दर रू0 50/– प्रति कि0 ग्रा0 से अधिक दर से कुल रू0 68,135.00 भुगतान संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता /फर्म को किया गयाजबकि निर्धारित दर से भुगतान किये जाने पर रू0 51,450.00 भुगतेय था, इस प्रकार रू016,685.00 का अधिक भुगतान संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता /फर्म को किया गया जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''थ'' पर दी गयी है। अतः रू0

16,685.00 दोषी व्यक्ति से शीघ्र वसूली कर कोषागार में जमा कराया जाय एवं अनुपालन वित्त(अंकेक्षण) विभाग को किया जाय।

(ख) रू0 4340.00 नाव की मजदूरी में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय खजौली के नाविक पारिश्रमिक भुगतान अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि बाढ़ – अवधि में नावों के परिचालन हेतु नाव चालकों को रू0 70/= प्रतिदिन की दर से देय भुगतान की राशि रू0 1330=00 के स्थान पर रू0 5670=00 का भुगतान किया गया था इस प्रकार रूपया 4340=00 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रं0	अभिश्रव सं0 /तिथि	नविक का नाम परिचालन स्थल	अवधि	प्राप्त मजदूरी दिनों में अन्तर	भुगतान राशि	भुगतेय राशि	वसूली की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	76/29. 3.05	श्री हृदय राम कमल नदी से चन्द्रडीह गाँव तक 10 दिनों की प्राप्ति –देय	22.7.02 से 30.7.02	1 दिन	700=00	630=00	70=00

		9 दिन वसूली –1 दिन					
2.	तदैव	श्री राम हृदय महतो गोवरौड़ा कोशी नदी नहर से झझकिया गाँव तक 71 दिनों की प्राप्ति –देय 10 दिन वसूली 61 दिन	22.7.02 से 31.7.02	61 दिन	4970=00	700=00	4270=00
				62 दिन	5670=00	1330=00	4340=00

अतः अधिक भुगतान की गई राशि रू0 4340=00 सम्बन्धित व्यक्ति से शीध्र वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय एवं अनुपालन वित्त(अंकेक्षण) विभाग को किया जाय।

(ग) रू0 10,442=00 पीने के पानी मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय लौकही के पेय जल मद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कुल 4 स्थानों पर चापाकल निर्माण हेतु प्रखन्ड विकास कार्यालय लौकही को रू0 40,000=00 अग्रिम दिनांक 14.9.2004 को दिया गया जिसमें रू0 31,401=00 व्यय कर रू0 8599=00 अवशेष राशि दिनांक 31.3.2006 को अंचल कार्यालय लौकही को वापस कर दिया गया। उक्त योजना सं0 1/04–05 के मापी पुस्त एवं अभिलेखों में कुल रू0 20959=00 स्वीकृत किया पाया गया। इस प्रकार अभिकर्त्ता श्री गोपाल कृष्ण दास पंचायत सेवक को रू0 10,442=00 अधिक भुगतान किया पाया गया जो वसूली योग्य है, जिसे शीध्र वसूल कर विहित शीर्ष में कोषागार में जमा करा कर अनुपालन वित्त (अंकेक्षण) विभाग को किया जाय।

(घ) रू0 1600=00 पीने के पानी मद में आवंटित राशि से अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय वासोपट्टी के पीने के पानी मद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त मद में आवंटित राशि रू0 40,000=00 थी जिसकी निकासी कोषागार से किया गया था परन्तु इस मद में श्री वीरेन्द्र कुमार कनीय अभियंता को उक्त योजना के लिए कुल रू0 41600=00 का भुगतान किया गया। स्पष्ट है कि रू0 1600=00 आवंटन से अधिक राशि का भुगतान किया गया जो अनियमित है। अतः दोषी

व्यक्ति से अधिक भुगतान की राशि रू0 1600=00 शीध्र वसूल कर कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

(ड.) रू0 35=00 पीने के पानी मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय मधेपुर के पीने के पानी मद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 6 चापाकल निर्माण हेतु योजना सं0 1/04–05 के लिए रू0 37200=00 प्राक्कलित राशि स्वीकृत किया गया था। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रू0 37165=00 स्वीकृत किया गया एवं उस पर अनावश्यक 35.00 जोड़ कर 37200=00 के लिए स्वीकृत कर 35=00 रू0 अधिक भुगतान कर कुल भुगतान श्री राम पुनीत पासवान अंचल निरीक्षक को दिया गया। इस प्रकार अधिक भुगतान की गई राशि रू0 35=00 को दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

अतः 16,685=00,4340=00,10,442=00,1600=00 एवं 35=00 कुल रू0 33,102=00 अधिक भुगतान की राशि वसूली योग्य है।

14. रू0 4900=00 नगद अनुदान मद में वसूली योग्य :–

(क) रू0 4,600=00 नगद अनुदान मद में वसूली योग्य

अंचल कार्यालय हरलाखी ,मधेपुर तथा अंधराढारी के नगद अनुदान भुगतान के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि बाढ़ पीड़ितो को बिना प्रप्ति रसीद या हस्ताक्षर कराये वितरण दिखा कर अभिश्रव पारित कर रू0 4,600=00 का भुगतान किया पाया गया जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''द'' पर दिया गया है। अभिश्रवों पर प्राप्त कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दिये बिना ही रू0 4,600=00 का भुगतान किया गया जो दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है,जिसे शीध्र वसूल कर कोषागार के विहित शीर्ष में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

(ख) रू0 200=00 नगद अनुदान मद में वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय, मधेपुर के नगद अनुदान भुगतान अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि गढ़गाँव पंचायत के 439 पीड़ितों को प्रति व्यक्ति रू0 200/= की दर से कुल रू0 87,800=00 अभिश्रव संख्या– 16/31.3.05 के द्वारा भुगतान किया गया। उक्त सूची में क्रमांक 145 पर किसी पीड़ित का नाम दर्ज नही था और किसी के द्वारा उक्त राशि प्राप्त भी नही की गया थी। अतः रू0 87800=00 में वास्तविक भुगतान रू0 87600=00 ही किया पाया गया जिसमें रू0 200=00 का अधिक भुगतान दर्ज किया पाया गया,जो दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है। इस प्रकार

कुल रू0 200=00 शीघ्र वसूल कर कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

(ग) रू0 100=00 का अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय मधेपुर के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अभिश्रव संख्या –15 दिनांक 30.3.05 के द्वारा श्री राम नारायण सिंह नोनियारी को रू0 400=00 का भुगतान किया गया लेकिन उक्त अभिश्रव रू0 300=00 के लिए ही परित किया पाया गया। इस प्रकार रू0 4600=00,200=00 तथा 100=00 कुल रू0 4900=00 दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य है।

15. 8.06.000 क्विंटल गेंहूँ एवं 0.19.000 क्विंटल चावल के तुल्य खाद्यान का मूल्य वसूली योग्य :–

अंचल कार्यालय हरलाखी ,मधेपुर एवं खुटौना के खाद्यान अनुदान से सम्बन्धित भुगतान अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि बाढ़–पीड़ितों को खाद्यान वितरण कर्त्ता द्वारा प्राप्ति रसीद, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिये बिना वितरण दिखा कर अभिश्रव पारित करते हुए गेंहूँ की कुल मात्रा 8.06.000 क्विंटल तथा चावल की कुल मात्रा 0.19.000 क्विंटल का वितरण किया गया जिसकी विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''घ'' पर दिया गया है। अतः 8.06.000 क्विंटल गेंहूँ एवं 0.19.000 क्विंटल चावल के मूल्य की जाँच उच्चाधिकारी से करा कर मूल्य दोषी व्यक्तियों के शीध्र वसूल कर विहित शीर्ष अन्तर्गत कोषागार में जमा कराया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

16. रू0 27,000=00 का अग्रिम असमायोजित :–

(क) रू0 18,000=00 मानव दवा मद में अनावश्यक अग्रिम :–

अंचल कार्यालय मधेपुर अंधराढ़ारी एवं वासो पट्टी के अभिलेखो एवं अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय मधेपुर द्वारा रू0 10,000=00 मानव दवा की आंवटित राशि की निकासी कर अभिश्रव संख्या –8/24.8.04 के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अग्रिम दिया गया, अंचल कार्यालय अंधराढ़ारी द्वारा दिनांक 26.5.2005 को प्रभारी चिकित्सा चिकित्सा पदाधिकारी अंधराढ़ारी को रू0 4,000=00 अग्रिम तथा अंचल कार्यालय वासो पट्टी द्वारा अभिश्रव संख्या 5/4.11.04 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी वासोपट्टी को रू0 4,000=00 कुल रू0 18,000=00 अग्रिम दिया गया। जिला आपदा प्रबन्धन,मधुबनी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी को रू0 13,35,000=00 दवा मद में आवंटित किया गया था जिसमें से प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र मधेपुर,अंधराढ़ारी तथा वासोपट्टी को क्रमशः रू0 39,000=00, 27,000=00 तथा 25,000=00 मूल्य का दवा बाढ़– पीड़ितों हेतु उपलब्ध कराया गया था। जिला के अन्य अंचल कार्यालयों द्वारा मानव दवा में आंबटित राशि का

प्रत्यार्पण/कोषागार में जमा कर दिया गया था। इस राशि को अनावश्यक रूप से अग्रिम बाढ़ की तीव्रता के पश्चात् देने का कोई औचित्य नही था।

(ख) रू0 9,000=00 पशु दवा मद में असमायोजित अग्रिम :–

अंचल कार्यालय मधेपुर,अंधराढ़ारी, वासो पट्टी के पशु दवा मद के अभिलेखों एवं अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि इन अंचल कार्यालयों द्वारा प्रखन्ड पशु चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुर ,अंधराढ़ारी एवं वासो पट्टी को क्रमशः अभिश्रव

संख्या/तिथि – 32/4.8.04, शून्य /26.5.05 तथा 4/4.11.04 रू0 5,000=00 ,2000=00 तथा 2,000=00 कुल रू0 9,000=00 पशु दवा मद में अग्रिम दिया गया। जिला आपदा प्रबन्धन मधुबनी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी ,मधुबनी को रू0 2,00,000=00 उपलब्ध कराया गया था। जिसके सभी प्रखण्डों में पशु दवा एवं टीका उपलब्ध कराया गया था। जिला के अन्य अंचल कार्यालयों द्वारा इस मद की राशि का प्रत्यार्पण/कोषागार में जमा किया गया था। बाढ़ की तीव्रता के पश्चात् इस राशि के अग्रिम दिये जाने का कोई औचित्य नही था। इस प्रकार मानव दवा तथा पशु दवा मद में रू0 18,000=00 तथा रू0 9000=00 कुल 27000=00 अनावश्यक अग्रिम की को समायोजित करने की कारवाई अन्यथा की स्थिति में वसूली कर कारवाई कर सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

17. रू0 8,54,100=00 तथा 376.75.000 क्विंटल गेहूँ के तुल्य मूल्य अग्रिम असमायोजित :–

अंचल कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अंचल कार्यालय हरलाखी,मधेपुर,अंधराढ़ारी,लखनौर,जयनगर एवं बावू बरही में नगद अनुदान मद – 5,28,000=00 ,पशु चारा मद 2,95,600=00,पेय जल – 28,500=00 ,पशु दवा– 2,000=00 तथा खाद्यान मद में 376.75.000 क्विंटल गेहूँ के समतुल्य मूल्य के खाद्यान के अग्रिम राशि कुल अग्रिम राशि रू0 8,54,100=00 तथा गेहूँ 376.75.00 क्विंटल कुछ कर्मचारियों के पास लम्बित है जिसकी विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "न" पर दी गयी है। अतः सम्बन्धित कर्मचारियों से रू0 8,54,100=00 तथा 376.75 क्विंटल गेंहूँ के तुल्य मूल्य से सम्बन्धित अग्रिम की राशि समायोजित कर अन्यथा वसूली कर की कारवाई कर सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

18. रू0 3,12,718=00 कोषागार में जमा योग्य :–

शीर्ष 2245– प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के वर्ष 2004–05 के मधुबनी जिला के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कोषागार से निकासी कर व्यय करने के पश्चात् कुछ कार्यालयों द्वारा अवशेष राशि रू0 312718=00 को

कोषागार में जमा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन लम्बित पाया गया ।उक्त राशि से सम्बन्धित विस्तृत विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''प'' पर दी गयी है। अतः रू0 3,12,718=00 अवशेष राशि को शीध्र कोषागार के विहित शीर्ष में जमा किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

19. 1,92,80,549=00 से सम्बन्धित व्यय अभिश्रवों की जाँच नही होने के कारण आपत्ति अन्तर्गत :–

अंकेक्षण क्रम में कुछ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में रू0 1,9280,549=00 के व्यय से सम्बधित अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया फलस्वरूप इस व्यय से सम्बन्धित जाँच नही किया जा सका। आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् भी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा भुगतान अभिश्रव एवं वितरण पंजी आदि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिसकी विवरणी इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''फ'' पर दी गयी है। अतः रू0 1,92,80,549=00 के भुगतान को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

20. रू0 5,32,50,826=00 से सम्बन्धित व्यय ,अन–अंकेक्षित आपत्ति अन्तर्गत :–जिला आपदा प्रबंधन मधुबनी द्वारा अंचल कार्यालय रहिका,पन्डौल,राजनगर, मधवा पुर,धोधरडीहा,फुलपरास,बेनीपट्टी ,विस्फी एवं झंझारपुर को आवंटित किये गये राशि में से कुल व्यय की राशि रू0 5,32,50,826=00 जिसका विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर है, से सम्बन्धित अभिलेख, जिला पदाधिकारी

मधुबनी एवं अपर समाहर्त्ता मधुबनी के कई आदेशों के उल्लंधन किये जाने के फलस्वरूप अंचल अधिकारी,नाजिर एवं प्रधान लिपिक की अकर्मणयता के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। अतः उक्त राशि रू0 5,32,50,826=00 के भुगतान को अंकेक्षण आपत्ति रखा जाता है एवं उच्चाधिकारियों का ध्यान समाहर्त्ता–अपर समाहर्त्ता के कई आदेशों का पालन नही कर अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत नही करने वाले कर्मचारियों पर आवश्यक कारवाई हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। किये गये कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

भाग –2

21. खाद्यान भंडार पंजी के संधारण का अभाव :–

जिला आपदा प्रबंधन मधुबनी के वर्ष 2004–05 के शीर्ष 2245– प्राकृतिक आपदा राहत के खाद्यान मदों की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण में प्रस्तुत अंचल कार्यालयों में खाद्यान के भंडार पंजी के संधारण का अभाव पाया गया। अधिकांश अंचल कार्यालयों में वितरण पंजी का भी संधारण नही किया गया था। जिला स्तर पर भी खाद्यान के मुख्य भंडार पंजी जिसमें अंचल कार्यालयों द्वारा राज्य खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान, वितरित खाद्यान की मात्रा तथा अवशेष की जानकारी रहनी चाहिए था, इसका अभाव पाया गया। इससे जिला आपदा प्रबन्धन को यह

पता नही चल पाया कि किस अंचल कार्यालय में खाद्यान की मात्रा अवशेष के रूप में कितनी थी।

अतः नियंत्रण की द्वष्टि से जिला स्तर– अंचल स्तर तथा पंचायत स्तर पर खाद्यान भंडार पंजी संधारित एवं अद्यतन प्रविष्टि तथा इनमें सह– सम्बन्ध रखने पर भविष्य में ध्यान दिया जाना चाहिए।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

परिशिष्ट "क" (कंडिका "1–झ" से सम्बन्धित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(क) प्रस्तुत अभिलेख

1. जिला नजारत का विपत्र पंजी
2. रोकड़ पंजी शीर्ष 2245– राहत
3. रेमिटेन्स पंजी
4. आवंटन–व्यय संचिकाऐं
5. खाद्यान क्रय से सम्बन्धित संचिका
6. बाढ़ साहाय्य 2004 में सामग्री क्रय दर से सम्बन्धित संचिकाऐं
7. नाव क्रय से सम्बन्धित संचिकाऐ एवं अभिश्रव
8. अनुग्रह अनुदान से सम्बन्धित संचिकाऐ एवं अभिश्रव
9. जनसंख्या निष्कासन, मानव दवा, पशु दवा,पेय जल की आपूर्ति एवं पशु चारा के अभिलेख
10. जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा प्रस्तुत रोकड़ पुस्त ,दवा भंडार पंजी एवं दवा क्रय अभिश्रव
11. असैनिक शल्य चिकित्सक मधुबनी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं रोकड़ पुस्त
12. अंचल कार्यालय जयनगर – रोकड़ पुस्त, आबादी निष्कासन – अभिश्रव, पेय जल– अभिलेख, पशु चारा –अभिश्रव
13. अंचल कार्यालय लखनौर –रोकड़ पुस्त, आबादी निष्कासन – अभिश्रव , पशु चारा अभिश्रव
14. अंचल कार्यालय खजौली – रोकड़ पुस्त,आबादी निष्कासन–अभिश्रव, पेय जल – अभिलेख, भंडार पंजी (अपूर्ण)
15. अंचल कार्यालय हरलाखी – रोकड़ पुस्त,नगद अनुदान अभिश्रव , खाद्यान अभिश्रव, पेय जल – अभिलेख
16. अंचल कार्यालय लौकही – रोकड़ पुस्त, खाद्यान अभिश्रव, आबादी निष्कासन अभिश्रव, पेय जल अभिश्रव
17. अंचल कार्यालय मधेपुर – रोकड़ पुस्त, आबदी निष्कासन अभिश्रव, नगद अनुदान – अभिश्रव, खाद्यान– अभिश्रव, पशु चारा अभिश्रव, पेय जल अभिश्रव
18. अंचल कार्यालय अंधराढ़ारी – रोकड़ पुस्त, आबदी निष्कासन अभिश्रव, नगद अनुदान – अभिश्रव, पेय जल अभिश्रव, पशु चारा अभिश्रव
19. अंचल कार्यालय लदनिया – रोकड़ पुस्त
20. अंचल कार्यालय वावूवरहो – रोकड़ पुस्त पेय जल, आबादी निष्कासन (आंशिक)

21. अंचल कार्यालय खुटौना – रोकड़ पुस्त, आबादी निष्कासन अभिलेख खाद्यान अभिलेख, पेय जल अभिलेख
22. अंचल कार्यालय वासो पट्ठी – रोकड़ पुस्त, आबादी निष्कासन अभिश्रव पेय जल अभिश्रव

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख

1. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन – झंझारपुर,वेनी पट्ठी तथा मधुबनी द्वारा सड़क मरम्मत व्यय से सम्बन्धित मापी पुस्त तथा अभिश्रव
2. अंचल कार्यालय – रहिका, पन्डैल, राजनगर,बेनी पट्ठी ,विस्फी, मधवापुर , झंझारपुर ,फुलपरास एवं धोधरडीहा को प्राप्त कुल राशि से सम्बन्धित सभी अभिलेख
3. नगद अनुदान अभिश्रव – अंचल कार्यालय – जयनगर, लखनौर ,लदनिया , वावूबरही
4. खाद्यान अनुदान वितरण अभिश्रव – अंचल कार्यालय लखनौर , जयनगर अंधराढ़ारी, लदनिया , वावूवरही
5. पशु चारा अभिश्रव – अंचल कार्यालय लखनौर
6. आबादी निष्कासन अभिश्रव – बाबू बरही (आंशिक)
7. मानव दवा – सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी का वितरण पंजी
8. पशु दवा – जिला पशु पालन कार्यालय मधुबनी का वितरण पंजी
9. खाद्यान भंडार पंजी – सभी अंचल कार्यालयों का